अन्य पिछडें वर्गो में आरक्षण

अभय प्रताप सिंह*

आरक्षण का अभिप्राय कुछ दुर्बल व्यक्तियों को सशक्त व्यक्तियों से बचाकर पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक विशमताओं को ध्यान रखते हुए यह उचित समझा गया है कि दुर्बल सामाजिक वर्गो को सबल वर्गो से बचाकर विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों संसद एवं राज्य विधानमण्डलों में स्थान प्रदान किये जायें। इसके पिछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य समाज के स्तरीकरण में निम्न कहे जाने वाले वर्गों जो कि शैक्षिक आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति को सुधारना था। उनका विचार था कि समाज के ये वर्ग वर्शों से सामाजिक स्तरीकरण के कारण पद्दलित एवं शोषित रहे हैं। आज आरक्षण में भी आरक्षण की बात चल रही है। महिला आरक्षण, गुर्जर जातियों के लिए आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, आदि आरक्षण में आरक्षण के उदाहरण हैं। दूसरी तरफ नौकरियों में आरक्षण के बाद शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और प्रोन्नत में आरक्षण में साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के आरक्षण की मांग के बाद लगभग सम्पूर्ण समाज इसमें अधिव्याप्त है।

आज पिछड़े वर्गो के सर्वांगीण विकास उन्नयन एवं समाज में प्रतिष्ठा तथा सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण को माध्यम बनाया गया। सरकारी नौकरियों में इन वर्गो को आरक्षण देने के संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि यह वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है जिसके कारण अन्य वर्गो के तुलना में यह नौकरियों में खुली समान प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पायेंगे। इन दूर्बल वर्गो के लिए नौकरियो में स्थान सुनिश्चित करने के लिए यह स्वीकार किया गया है कि कुछ स्थानों को केवल इनके लिए सुरक्षित किया जाय तथा इनके लिए आयु, आदि मानको में भी सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में छूट प्रदान की जाय।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था स्वतंत्र भारत में ही नहीं अपितु स्वतंत्रता से पूर्व भी यहाँ लागू थी। सन् 1919 ई0 में भारत सरकार अधिनियम लागू होने के बाद भारत के मुसलमानों ने भारत में सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। इस आरक्षण की मांग के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने सन् 1925 ई0 में सीधी भर्ती होने वाली सरकारी नौकरियों में 33–) प्रतिशत स्थान अल्प संख्यक समुदाय के लिए आरक्षित कर दिये। आरक्षण की इस व्यवस्था के लिए भारत सरकार के गृह विभाग ने 4 जुलाई 1934 को एक प्रस्ताव द्वारा एक निश्चित आकार प्रदान किया। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित इस कोटे में से मुसलमानों के लिए 25 प्रतिशत स्थान और 8–) प्रतिशत स्थान ऐंग्लों इण्डियन समुदाय के लिए आरक्षित किये गये इसके अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 6 प्रतिशत स्थानों को आरक्षित करने का प्रावधान था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दिया गया सभी आरक्षण समाप्त कर दिया गया लेकिन ऐंग्लों इण्डियन समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था आगामी 10 वर्षो के लिए शुरू रखा गया। मुसलमानों एवं ऐंग्लों इण्डियन समुदाय के स्थान पर संविधान निर्माताओं ने सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए संस्तुति की जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस सामाजिक एवं शैक्षिणिक रूप से पिछड़े वर्गो में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति ने 1950 ई0 में एक संवैधानिक आदेश के माध्यम से राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में रहने वाली जातियों के लिए एक अनूसूची जारी की जिसमें इन्हें अनुसूचित जातियों के नाम से संबोधित किया गया जो सामाजिक एवं शैक्षिणक रूप से पिछड़ी हुई थी। इन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रारम्भ में सरकारी नौकरियों में और लोकसभा एवं विधानसभाओं में प्रारम्भिक रूप से 10 वर्षो के लिए आरक्षण प्रदान किया गया जिनमें ऐंग्लो इण्डियन भी सामिल हैं जिसे समय–समय पर 10–10 वर्षो के लिए बढ़ाया जाता रहा है जो वर्तमान में भी जारी है।

20वीं शताब्दी को दलितोद्धार का युग कहा जा सकता है प्रताड़ना के शिकार होने के कारण इन्हें अछूत दलित कहा गया। महादेव गोविन्द रानाडे और पंडित मदन मोहन मालवीय ने गरीबों और अछूतों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए लोगो से अपील की। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव में अछूतों को अन्य हिन्दुओं के साथ समान अधिकार प्रदान किया और उन्हें समाज की उच्च जातियों के साथ अपनी गणेश प्रतिमाओं को लेकर चलने को कहा। सन् 1917 ई0 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया की दलित वर्गों पर रीति–रिवाजों द्वारा थोपे गये भार अपात्रताएँ, अन्याय आदि दूर किये जायें। महात्मा गाँधी ने दलितों के मुक्ति के लिए धर्मयुद्ध चलाया तथा उनके विरूद्ध होने वाले अत्याचारों और उत्पीड़न का विरोध किया। डा0 भीमरॉव अम्बेडकर दलितों के एक प्रखर नेता के रूप में उभरकर सामने आये उनका विश्वास था की सिर्फ स्वतंत्र भारत की सरकार ही अमूल परिवर्तन लाने का कार्य करने में तथा अछूतों की स्थिति को उन्नतिशील बनाने में सक्षम हो सकती है। उन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की अपील की सन् 1937 के प्रान्तों के निर्वाचन में अस्पृश्य वर्ग के प्रत्याशियों ने भाग लिए कुल 151 आरक्षित स्थानों में से 78 स्थानों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया और 13 सीटें डाक्टर अंबेडकर की लेबर पार्टी को मिली। इस समय तक अछूतों को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का अधिकार मिल गया था। वे सार्वजनिक कुँओं एवं तालाबों का प्रयोग करने लगे और शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा

***(असि० प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग) आर0एस0के0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर**

ग्रहण करने लगे। भारत को जब स्वतत्रंता मिली तो दलितों की तरह आदिवासियों की स्थिति भी काफी दयनीय थी। भारतीय संविधान में दोनों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा और न ही इन आधारों पर दुकानों सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर या सार्वजनिक उपयोग के कुओं तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर किसी प्रकार की रोक नही होगी।

संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया तथा किसी भी रूप में इसके प्रचलन का निशेध कर दिया गया। इसके लिए सन् 1955 ई0 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 25 ख में यह कहा गया कि हिन्दुओं के सभी (सार्वजनिक) धार्मिक संस्थाओं के द्वार सभी हिन्दुओं के लिए खुले रहेंगे।

अनुच्छेद 29 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, आदि के आधार पर वंचित नही किया जायेगा। जातिय अयोग्यता उन्मूलन अधिनियम (कानून) सन् 1950 में यह व्यवस्था की गयी है कि जाति वहिष्कृत होने पर किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति जब्त नही की जायेगी और कोई भी न्यायपालिका इस प्रकार की सम्पत्ति अधिग्रहण का आदेश देने वाली व्यवस्था को लागू नही करेगी।

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों (दलितों) तथा अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) तथा अन्य पिछड़े वर्गो को शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी सामाजिक अयोग्यता को दूर करने के लिए के उद्देश्य से उनको आवश्यक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने के अन्य उपाय भी किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 330, 332 तथा 334 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के लिए अनुपात में स्थान 2010 तक आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भविश्य में आगे भी जारी रहेगा।

संविधान के अनुच्छेद 46 में यह कहा गया है कि राज्य समाज के दूर्बल वर्गो के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 146 में कहा गया है कि बिहार, मध्यप्रदेश, और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जो साथ ही साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी प्रभारी हो सकेगा।

अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का निर्देश दिया गया है।

अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गो की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का निर्देश है।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) राज्य के नागरिको के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 (4) में राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सरकारी सेवाओं तथा पदों में से ऐसी किसी भी पिछड़े वर्गो के लिए, जिसे इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही मिला आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इन प्रावध ानों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सन् 1950 में आरक्षण मिल गया।

अन्य पिछड़े वर्गो पर विचार करने के लिए 1979 ई0 पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) का गठन किया गया जिसकी सिफारिशों के आधार पर 13 अगस्त 1990 को एक सरकारी ज्ञापन जारी कर भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया।

इस सरकारी ज्ञापन लागू करते समय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अन्य पिछड़े वर्गो में सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए अतिसमृद्ध तबके को आरक्षण से बाहर रखा जायेगा। शिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है इस प्रकार सरकार ने जहाँ अनुसूचित जतियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उनकी जनसंख्या के अनुपात में की है, वहीं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय करते हुए यह ध्यान रखा गया है कि कुल आरक्षित पदों का प्रतिशत संम्पूर्ण रिक्तियों के आधे से अधिक ना हो।

आरक्षण कमजोर और दलित वर्ग को एक प्रस्थिति प्रदान करता है जिससे उसके सदस्य सामाजिक और शैक्षिक उत्थान कर समाज के उन्नति और समृद्ध वर्गो की बराबरी कर सकें। दुःख की बात यह है कि जो लोग हर प्रकार से शसक्त एवं समृद्ध हो गये हैं वे भी जाति के नाम पर आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं और दुःख की बात यह है कि जो गरीब एवं पिछड़े वर्ग का व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है वह स्वयं गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगो से दूरी बनाने लगता है। आज जाति के सामाजिक उत्थान पर कोई ध्यान नही दिया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- Ambedkar, B.R. : The Untouchable, Amrit Book co, Delhi. 1948
- Altekar, A.S. : Prachin Bhartiya Shashan Paddhatiyan . Bharti Bhandar, Allahabad 1948
- Atal yogesh .: The Changing frontiers of casts, Delhi National Publishing house 1968
- Beteille Andre : Caste class and Power, University of California Press 1966
- Chauhan Br : Scheduled cast and Tribes Economic and Political weakly vol iv No. 4 Jan-24, 1959